



2026:AHC:32840

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3441 / 2026

ध्रुव सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमित प्रताप सिंह, अशरफ अली

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है:-

"परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो संबंधित प्रतिवादी अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 को यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत दायर (1) मुकदमा संख्या 16370 / 2025 (ध्रुव सिंह बनाम राम किशुन); (2) मुकदमा संख्या 16372 / 2025 (ध्रुव सिंह बनाम अवधेश); (3) मुकदमा संख्या 16373 / 2025 (ध्रुव सिंह बनाम छोटेलाल); (4) मुकदमा संख्या 16374 / 2025 (ध्रुव सिंह बनाम अनिल कुमार); (5) मुकदमा संख्या 10275 / 2025 (ध्रुव सिंह बनाम राम दास); (6) मुकदमा संख्या 16375 / 2025 (ध्रुव सिंह बनाम केदार नाथ); (7) मुकदमा संख्या 16376 / 2025 (ध्रुव सिंह बनाम महंत); (8) मुकदमा संख्या 16378 / 2025 (ध्रुव सिंह बनाम महंत) की कार्यवाही को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अवधि के भीतर समाप्त करने और साथ ही यू.पी. राजस्व संहिता की धारा 24(2) के शासनादेश के अनुपालन में उपरोक्त भूखंडों पर कब्जा प्रदान करने का निर्देश दे।"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तमकुही राज, जनपद कुशीनगर को कानून के अनुसार कड़ाई से और सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मामले में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

13 फरवरी, 2026

"Translated, Corrected & Authenticated by me"

Rohit Kushwaha

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



A/R- 0444 /2018सकलेन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"